न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन

बइजलास– राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

रेफरेन्स संख्या 19 / 2023 जीसीएमएस नम्बर 2022 / 60

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी।

अप्रार्थी

श्री मंत्री गौशाला कुचामन सिटी।

अधिवक्ताः–

1. राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 कुचामन सिटी के नामान्तरकरण संख्या 85 निरस्त करवाने बाबत

निर्णय

दिनांकः 09/09/2025

प्रार्थी (तहसीलदार, कुचामन सिटी) ने रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नामान्तरकरण संख्या 85 निरस्त करवाने हेतु पेश किया है।

इस रेफरेन्स के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह रेफरेंस तहसीलदार, कुचामन सिटी द्वारा कुचामन सिटी के खसरा नंबर 616 की 442 बीघा 9 बिस्वा भूमि से संबंधित नामांतरण संख्या 85 को निरस्त करवाना है।

प्रार्थी (तहसीलदार) का तर्क है कि यह भूमि, जो कि जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 तक सरकारी खाते में दर्ज थी, को बंदोबस्त सम्वत 2046 से पहले अवैध रूप से नामांतरण संख्या 85 के माध्यम से गौशाला के नाम पर दर्ज कर दिया गया। यह नामांतरण नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया था, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार केवल सहायक कलेक्टर को है। याचिका के अनुसार, नायब तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह अनियमित नामांतरण स्वीकृत किया, जो कानूनी रूप से अमान्य और रद्द किए जाने योग्य है।

इसलिए, प्रार्थी (तहसीलदार) ने रेफरेन्स [illegible] अप्रार्थी की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राज[illegible] जाने की इस्तदुआ की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

प्रार्थी (तहसीलदार, कुचामन सिटी) द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामीलसुदा प्राप्त। चूंकि उक्त पत्रावली क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना से स्थानान्तरित होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी को दिनांक 13.06.2023 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी की ओर से श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो निम्नवत हैं।

1. कुचामन के गत खसरा संख्या 616 रकबा 442 बीघा 9 बिस्वा जिसके भू–प्रबंध संक्रियाओं के दौरान नवीन खसरा संख्या 1889, 1890, 1969 से 1977, 2040, 2096, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2150, 2151, 2588/2115, 2589/1981, 2626/2101 कुल खसरा 24 कुल रकबा 61.93 हेक्टेयर कायम किये गए थे तथा उक्त गत खसरा संख्या 616 रकबा 442 बीघा 9 बिस्वा का कुचामन सिटी के नामान्तरकरण संख्या 85 के द्वारा खातेदारी विधिअनुसार व विधिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए अप्रार्थी संस्था के नाम दर्ज की गयी थी। प्रार्थी का यह कथन कि उक्त के नामान्तरकरण संख्या 85 अविधिक रूप से दर्ज किया गया है, सरासर गलत है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त के नामान्तरकरण संख्या 85 को निरस्त करने हेतु श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत यह रेफरेंस प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

2. उक्त गत खसरा संख्या 616 रकबा 442 बीघा 9 बिस्वा भूमि तत्कालीन जागीरदार हरी सिंह पुत्र नाहर सिंह के कब्जे काश्त की भूमि थी।

3. श्रीमान उक्त गत खसरा संख्या 616 की उक्त भूमि तत्कालीन खातेदार जागीरदार हरी सिंह पुत्र नाहर सिंह ने श्री कुचामन गौशाला को गौ हितार्थ उक्त भूमि दिनांक 23–07–1955 को ही दान कर दी थी दान कर दी थी जिसकी लिखत की छाया प्रति शामिल पत्रावली है।

4. श्रीमान उक्त दान विलेख तत्कालीन खातेदार जागीरदार हरी सिंह पुत्र नाहर सिंह ने श्री कुचामन गौशाला को गौ हितार्थ उक्त भूमि दिनांक 23–07–1955 को ही निष्पादित कर दिया था जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15–10–1955 को प्रभाव में आया था तथा एक पंजीबद्ध दस्तावेज जो दिनांक 29–12–1955 को पंजीबद्ध हुआ था जिसके मजमून से उक्त दस्तावेज के द्वारा गौशाला को गायों को चराने के लिए, घास चारा उगाने के लिए दी गयी थी। उक्त दस्तावेज दिनांक 23–07–1955 के सम्पूर्ण अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त दस्तावेज दान–पत्र की श्रेणी में आता है। तत्कालीन जागीरदार द्वारा मात्र उक्त भूमि में बने मकान व कुँए तथा इंजन की लागत 7000/– जरिये चेक संख्या 023716 जोधपुर कमर्शियल बैंक शाखा कुचामन सिटी दिनांक 27–09–1955 को प्राप्त कर उक्त भूमि गौ हितार्थ दान की थी तथा यह भी स्पष्ट हो जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

है कि उक्त भूमि का भौतिक कब्जा भी अप्रार्थी संस्था श्री कुचामन गौशाला को दिनांक 25–09–1955 से पूर्व दिनांक 23–07–1955 को ही प्राप्त कर लिया था।

5. श्रीमान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 146 यह स्पष्ट करती है कि इस धारा के अंतर्गत जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र भू–प्रवंध कार्यवाहियों के अंतर्गत हो तो मानचित्रों, क्षेत्रमितियों (फील्ड बुक) के साधारण और वार्षिक रजिस्टरों का कार्य अध्याय 7 द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

6. श्रीमान कुचामन शहर तत्समय नावां तहसील क्षेत्र के अधीन था तथा नावां तहसील में भू–प्रबंध संक्रियाओं का कार्य सन 1957 में प्रक्रियाधीन था। भू–प्रवंध संक्रियाओं के दौरान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत सहायक भू–प्रवंध अधिकारी को भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां निहित थी।

7. श्रीमान आलोच्य खसरा संख्या 616 की भूमि तत्कालीन जागीरदार हरी सिंह पुत्र नाहर सिंह द्वारा अप्रार्थी संस्था श्री कुचामन गौशाला को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (जो कि दिनांक 15–10–1955 को प्रभाव में आया था) के प्रभाव में आने से पूर्व ही दिनांक 23–07–1955 को ही गौ हितार्थ सुपुर्द कर दी थी, जैसा कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 140–(क) में प्रावधान भी किया गया है। अतः खसरा संख्या 616 की भूमि तत्कालीन जागीरदार हरी सिंह पुत्र नाहर सिंह द्वारा अप्रार्थी संस्था को दिनांक 15–10–1955 को सुपुर्द करने व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 140–(क) के अनुसार भी उक्त नामान्तरकरण सं. 85 विधि सम्मत होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेंस प्रकरण आधारहीन व खारिज किये जाने योग्य है।

8. भू–प्रवन्ध संक्रियाओं के दौरान तत्कालीन भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 371/57 में सम्पूर्ण अवलोकन करते हुए निर्णय दिनांक 16–07–1957 के द्वारा अप्रार्थी संस्था के ट्रस्टीयान श्री कुचामन गौशाला के नाम बंदोबस्त पर्चा जारी करने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण विधि अनुकूल स्वीकृत किया गया है तथा माननीय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी ने अपने निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस भूमि पर अप्रार्थी संस्थान श्री कुचामन गौशाला का सम्वत् 2012 से पूर्व से ही कब्जा काश्त था एवं तत्समय से आज दिनांक तक कब्जा काष्ट चला आ रहा है जिस कारण नामान्तरकरण संख्या 85 स्वतः ही विधि अनुकूल साबित हो जाता है जिसे निरस्त करने का ना तो कोई कारण और ना ही कोई आधार प्रतीत होता है। अतः उक्त रेफरेंस प्रकरण को खारिज किया जाना ही न्याय हित है।

9. उक्त नामान्तरकरण संख्या 85 की स्वीकृति के जरिये खातेदारी अप्रार्थी संस्था श्री कुचामन गौशाला को प्रदात की गयी थी, श्री कुचामन गौशाला एक धार्मिक एवं सामजिक संस्था है जो गौ हितार्थ निस्वार्थ सेवा करती है। संस्था कोई निजी व्यक्ति नहीं है तथा उक्त खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को नहीं दी जा[illegible] एवं सामजिक संस्था को दी गयी है। अतः नामान्तरकरण संख्या 85 विधि सम्मत है [illegible] निरस्त किये जाने का कोई भी आधार नहीं वनता है। अतः उक्त रेफरेन्स प्रकरण [illegible] किया जाना ही न्ययोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार "अधिकतम क्षेत्र जो धारण किया जा सकता है तथा भावी आवाप्तियों पर प्रतिवन्ध" के प्रावधान अधिनियम की धारा 30 (श्र) अपवाद दृ (1) 30 (म) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गौशाला द्वारा धारित भूमि पर लागू नहीं की गयी है।

11. श्रीमान नामान्तरकरण संख्या 85 के विशेष विवरण खंड में 748/23–09–1960 A.S.O. द्वारा पर्चा बनाने का उल्लेख कर नामान्तरकरण संख्या 85 स्वीकृत किया गया है। जबकि पूर्व में न्यायिक दृष्टान्तों द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जा चुका है कि "भू–प्रबंध विभाग द्वारा किये गए इन्द्राज सही माने जावेंगे जब तक कि उन्हें गलत प्रमाणित नहीं कर दिया जावे ।"त) सईदा बीबी बनाम बच्चा 1977 त्त्व 194 (2) प्रभुदयाल बनाम राजस्व मंडल राजस्थान 1984 त्त्व 462 (भ्ट) रू क्ळ प्क 372827 श्रीमान ीट नागौर के उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 85 स्वीकृत हुआ है जो विधि अनुकूल स्वीकृत किया गया है जिस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिफरेन्स प्रकरण कतई भी पोषणिय नहीं है। अतः उक्त रेफरेंस प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

12. विधि एवं न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया जा चुका है है कि "The Parcha settlement is a great and important evidenceÞ (1) Prabhati versus Sheokaran LF Doc ID 576408 (2)C.W. 590/67 DOD 09-01-1976 vijay kumar versus Board of Revenue.

13. Appeal No. 4/ajmer/1963 D.O.D. 11-07-1967 Kistoora versus Kistoor Chand द्वारा यह भी प्रतिपादित किया जा चुका है कि Settlement Parcha should be consider as on annual register for the purpose of section 19(1) of Rajasthan tenancy Act.

14. भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान तत्कालीन भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 371/57 में सम्पूर्ण अवलोकन करते हुए निर्णय दिनांक 16–07–1957 के द्वारा अप्रार्थी संस्था के ट्रस्टीयान श्री कुचामन गौशाला के नाम बंदोबस्त पर्चा जारी करने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण विधि अनुकूल स्वीकृत किया गया है तथा राजस्थान सरकार बनाम भगवान् दास चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि "If an order is passed by the Asst. Land Record Officer a Collector cannot make reference. Only Director of Land Records who can make references." अर्थात यदि कोई आदेश यदि सहायक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है तो कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर उस आदेश या निर्णय का रेफेरेंस नहीं दे सकता है । (State Vs Bhagwandas Charitable Trust, 2010 RBJ 244) अतः उक्त प्रतिपादन अनुसार भी कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ASO के आदेश/निर्णय का सुनवाई का अधिकार नहीं होने से उक्त रेफरेंस प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

15. उक्त प्रकरण में विधि सम्मत खातेदारी ... संस्था के नाम दर्ज की गयी है तथा उक्त रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत करने में प्रार्थी ... अत्यधिक विलम्ब किया गया गया है जबकि स्थापित कानूनी स्थिति अनुसार विभिन्न ... के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

द्वारा भी प्रतिपादित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब (Inordinate Delay) में प्रस्तुत किया गया रेफरेंस संधारणीय नहीं है।

16. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा Anandi Lal Versus State of Rajasthan and Ors. CSA 72 of 1987 DOD 19-10-85 के मामले में प्रतिपादित किया गया कि 1956 के अधिनियम की धारा 82 के तहत किया गया रेफरेन्स एक वर्ष की अवधि के बाद नहीं किया जा सकता है।

17. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी असाधारण विलम्ब (Inordinate Delay) के सन्दर्भ में प्रतिपादित किया गया है कि रेफरेंस की शक्तियों का प्रयोग उचित तरीके से उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए तथा उक्त रेफरेंस प्रकरण में अप्रार्थी संस्था को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए ६० वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है। इस कारण उक्त रेफरेंस प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार द्वारा असाधारण विलम्ब (Inordinate Delay) में प्रस्तुत किया गया होने से रेफरेंस संधारणीय नहीं है। (1) Mansaram Vs SP Pathak AIR (SC) 1239] (2) AIR 1969 SC 1297 (Supra)

अतः बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त विवेचित तथ्यों, स्थापित क़ानून और न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफेरेंस प्रकरण को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करवाएं।

राजपैरोकार की बहस सुनी गई। राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी ने अप्रार्थी के लिखित बहस के प्रतिउत्तर में लिखित बहस प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैं।

1. यह है कि कुचामन सिटी का गत खसरा नम्बर 616 रकबा 442 बीघा 9 बिस्वा जमांबदी संवत 2010 दृ 2013 के अनुसार मे राजकीय खाते मे अलावा जोत काबिल काश्त बारानी 2 दर्ज रही है। जिसके भू–प्रबंध संक्रियाओ के दौरान मिलान क्षेत्रफल की नकल अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1889, 1890, 1969 से 1977, 2040, 2096, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2150, 2151, 2588/2115, 2589/1981, 2626/2101 कुल किता 24 रकबा 61.93 हैक्टर कायम किये गये।

2. खतौनी बंदोबस्त 2008 से 2027 के अनुसार गत खसरा नम्बर 616 रकबा 442 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी राजा हरिसिंह वल्द कोम राजपूत सा.देह जागीरदार दर्ज है।

3. अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा दान पत्र से कुचामन गौशाला को उक्त भूमि दान की थी, लेकिन कस्बा कुचामन सिटी के नाम संख्या 85 जागीरदार हरिसिंह द्वारा किये गये दान पत्र की छायाप्रति अनुसार दर्ज नही कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 का उल्लंघन किया गया है। जो कि काबिल खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

4. अप्रार्थी द्वारा सलग्न पंजीबद्ध दस्तावेज की फोटोप्रति अनुसार गत खसरा नम्बर 616 गऊशाला कुचामन के नाम होना बताया गया है। जबकि वर्तमान रिकार्ड व अमल दरामद मे श्री मंत्री गऊशाला कुचामन के नाम अविधिपूर्वक दर्ज है।

5. नामां संख्या 85 अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दान पत्र / वैचाननामा की पालना मे दर्ज नही किया गया है। आर टी एक्ट की धारा 15 का उल्लेख करते हुए नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

6. यह है कि उक्त नामां बिना किसी सक्षम न्यायालय/अधिकारी के आदेश से सीधे ही नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर ही अनियमित रूप से धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी दर्ज कर दी जबकि नायब तहसीलदार को इसके अधिकार नही है। उक्त नामां संख्या 85 नायब तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अनियमित रूप से खातेदारी प्रदान की है। जो काबिल खारिज है।

7. कस्बा कुचामन सिटी के नामां संख्या 85 सक्षम अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी के आदेश से दायर नही किया गया है। नायब तहसीलदार नांवा ने आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 15 का उल्लेख करते हुये नामां अविधिपूर्वक स्वीकृत किया है। जो कि खारिज योग्य है।

बिन्दु संख्या 8 से 15 तक बिन्दु संख्या 7 में अंकित कथनों को दोहराया हैं।

16. कस्बा कुचामन सिटी के नामां संख्या 85 सक्षम अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी के आदेश से दायर नही किया गया है। नायब तहसीलदार नांवा ने आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 15 का उल्लेख करते हुये नामां अविधिपूर्वक स्वीकृत किया है। जो कि खारिज योग्य है।

17. चूंकि आवंटन आदि का अमल दरामद उपखण्ड अधिकारी स्तर के अधिकारी के आदेश की पालना में नामां दर्ज किया जाता है। उक्त नामां नायब तहसीलदार द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से नही किया गया है। अतः उक्त नामां खारिज योग्य है।

उपसंहार :–

1. कस्बा कुचामन सिटी के नामां संख्या 85 के विशेष विवरण स्तम संख्या 14 मे आर.टी.एक्ट. 1955 की धारा 15 का उल्लेख करते हुए नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें सक्षम अधिकारी का उल्लेख नही किया हुआ है।

2. अप्रार्थी द्वारा क[illegible] खसरा नम्बर 616 पंजीबद्ध वैचाननामा/दानपत्र द्वारा गऊशाला कुचाम[illegible] भूमि होना बताया है। जबकि उक्त भूमि नामां संख्या 85 अनुसार [illegible] अनुसार गऊशाला कुचामन के नाम दर्ज हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

3. खतौनी बदौबस्त संवत 2008 से 2027 के अनुसार गत खसरा नम्बर 106 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी श्री मंत्री गौशाला कुचामन सिटी के नाम दर्ज रिकार्ड है। बत खसरा नम्बर 616 रकबा 442 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी राजकीय खाते मे अलावा जोत काबित काश्त बारानी 2 दर्ज रही है।

4. नामांन्तकरण संख्या 85 के अनुसार गत खसरास नम्बर 616 रकबा 442 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी गऊशाला कुचामन सिटी के नाम स्वीकृत किया गया है। अमल दरामद उक्त खसरे की खातेदारी श्री मंत्री गऊशाला कुचामन सिटी के नाम दर्ज की गई है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन है कि उक्त विवेचित तथ्यो, स्थापित कानून और न्यायिक दृष्टान्तो के आधार पर नामां 85 निरस्त कर राजस्व अभिलेख मे उक्त नामां से पूर्व की स्थिति बहाल कर भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

विवेचन

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन उपरान्त निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैः–

(1) अभिलेखीय स्थिति :

- कुचामन सिटी के ना. सं. 85 को निरस्त करवाने हेतु यह रेफ्रेंस प्रा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। कुचामन सिटी का ना. सं. 85 जो कि सहायक भू: प्रबंध अधिकारी नागौर के प्रकरण सं. 748 दिनांक 23.9.60 के द्वारा पारित आदेश के अनुसार दर्ज कर वर्ष 1962 में नायब तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत किया गया था।
- अप्रार्थी कुचामन गौशाला की ओर से रेफ्रेंस का जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है।
- रेफ्रेंस में प्रश्नगत भूमि कुचामन सिटी का गत खसरा संख्या 616 रकबा 442 बीघा 5 बिस्वा भूमि तत्कालीन जागीरदार हरीसिंह ठिकाना कुचामन द्वारा दिनांक 23.7.55 को 321 बीघा 13 बिस्वा भूमि एक अपंजीकृत दान पत्र द्वारा श्री कुचामन गौशाला ट्रस्ट को दान की थी एवं भूमि का मौके पर कब्जा संभलवा दिया था।
- तत्पश्चात दिनांक 26.9.55 को स्टाम्प रुपये 100 मुद्रांक विक्रेता के पंजिका क्रमांक 2710 वर्ष 1948 तथा 100 तथा स्टाम्प रूपये 40 क्रम संख्या 149 वर्ष 1949 कुल स्टाम्प 100 रुपये पर एकविक्रय पत्र दिनांक 26–9–55 को तहरीर कर इसमें उल्लेख किया कि ख.नं. 616 रकबा 442 बीघा 5 बिस्वा व खसरा संख्या 622 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल 450 बीघा 2 बिस्वा अपनी खुशी से श्री कुचामन गौशाला की गायों चराने को दी है तथा अपनी तरफ से चारागाह के रूप में आपको सुपुर्द कर ही है। इसके अलावा इस जमीन [illegible] झालरा बनाया हुआ है व एक हौज पानी के लिए और एक मकान इंज[illegible]नाया हुआ है इन सब इमारतों की कीमत आपसे रुपये 7000[illegible] आपको उन्हें मैंने बेच दिया है, यह रूपया 7000/– [illegible] चेक नं. [illegible]16 तारीख 25 सितम्बर 1955 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

जोधपुर कमर्शियल बैंक लि. कुचामन का ले लिया है, अब इन इमारतों पर आपका मालिकाना हक है मेरा कोई उज्र नहीं हैं, पहले मैंने श्री कुचामन गौशाला बीड ब जरिये परवाना ता: 23–7–55 को इस बीड की जमीन 450 बीघा 2 बिस्वा में से 321 बीघा 13 बिस्वा जमीन चरागाह के लिए दे दी थी लेकिन अब कुल 450 बीघा 2 बिस्वा जमीन दे दी है इस जमीन की बीघोड़ी राजस्थान सरकार की जो इस पर लगेगी उस बीघोडी की रकम संवत 2012 से जमा कराने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, हमारी तरफ से इस जमीन का श्री कुचामन गौशाला के नाम खसरा में दर्ज करवाने की दरख्वास्त महकमें सेटलमेंट में पेश कर दी जावेगी। यह तहरीर मैंने अपनी खुशी से आप लोगों को लिख दी है जो सही व दुरुस्त है फकत तारीख 26–9–55।

- तत्पश्चात् तत्कालीन जागीरदार हरिसिंह ने कुचामन गौशाला ट्रस्ट के नाम से इस तहरीर की पालना में एक पंजीबद्ध विक्रय 29.12.55 को निष्पादित खसरा नं. 616 में से शेष रही भूमि एवं ख.नं. 622 में रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा एवं इस भूमि में स्थित एक कुआं, मकान, इंजन घर, एक पानी का हौज का बेचान कर दियाया एवं इस विक्रय पत्र में पूर्व में निष्पादित दान पत्र 23.7.55 के द्वारा दान की गयी भूमि का उल्लेख करते हुये कुल 450 बीघा 2 बिस्वा संपूर्ण योग कुचामन गौशाला ट्रस्ट के नाम हस्तान्तरण किया जाने का उललेख किया है। ख.नं. 616 में से शेष रही भूमि, कुआं, मकान, इंजन घर, एक पानी का हौज के बेचान के प्रतिफल की राशि 7000/– का चेक नं. 023716, दिनांक 29.09.1955 का जोधपुर की कॉमर्सियल बैंक लिमिटेड कुचामन का प्राप्त होने का उल्लेख किया है।
- सम्वत 2012 की गिरदावरी में खसरा संख्या 616 में 312 बीघा 9 बिस्वा पर श्री कुचामन गौशाला का कब्जा काश्त दर्ज है; सम्वत 2013 में 372 बीघा 5 बिस्वा पर श्री कुचामन गौशाला का कब्जा काश्त दर्ज है। सम्वत 2014 में 2017 की गिरदावरी में सम्वत 2016 में 310 बीघा असिंचित फसल जिन्स बाजरी, मोठ, गवार, मूंग एवं सिंचित में 32 बीघा में गेहूं, कान्दा इत्यादि कुचामन गौशाला के नाम दर्ज है। सम्वत 2018 से 2021 की गिरदावरी में खसरा संख्या 616 रकबा 442 बीघा 9 बिस्वा कुचामन गौशाला की खातेदारी दर्ज है तथा बाजारी, मोठ, गवार, गाजर, रिजका जिन्स दर्ज है।
- उपरोक्तानुसार परवाना दिनांक 23.7.55 एवं तहरीर दिनांक 26–9–55 के द्वारा 450 बीघा 2 बिस्वा भूमि श्री कुचामन गौशाला के नाम रा.का. अधिनियम 1955 जो कि 15–10–55 से प्रभावशील हुआ, उससे पूर्व की विधिवत हस्तान्तरण कर भौतिक कब्जा श्री कुचामन गौशाला को संभाला दिया था, मात्र उक्त तहरीर व परवाना जो कि दिनांक 15–10–55 से पूर्व निष्पादित किये गए है। उनकी पालना में विक्रय–पत्र उप–पंजीयक कार्यालय में दिनांक 23–12–55 को पंजीबद्ध करवाया था।
- सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी नावां नाव के न्यायालय में ट्रस्टीयान श्री गौशाला कुचामन में दिनांक 17.6.57 [illegible] हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत जो प्रकरण सं. 371/57 पर दर्ज हो कर [illegible] दिनांक 17.07.57 को निर्णय कर प्रश्नगत भूमि ट्रस्टीयान गौशाला के नाम [illegible] जारी करने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में भू–प्रबन्ध [illegible] कुचामन गौशाला खातेदार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

नाम पर्चा लगान जारी कर दिया गया। उक्त ना सं. 85 पटवारी हल्का कुचामन सिरी द्वारा दर्ज कर भू.अ. नि. द्वारा दिनांक 2–9–62 को जांच की जा कर नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है, इस ना. करण सं. 85 के कॉलम सं. 14 (विवरण) में भी "748/23.9.60 A.S.O. नागौर से पर्चा बना" का उल्लेख किया गया है। उपरोक्तानुसार ना. सं. 85 विधिवत दर्ज होकर कुचामन गौशाला के नाम दर्ज किया गया है।

(2) विधिक स्थिति :

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम – 1956 की धारा 82–अभिलेख एवं कार्यवाहियों को मंगवाने तथा राज्य सरकार या मण्डल को निर्देश करने की शक्ति–भू प्रवन्ध आयुक्त या भू–अभिलेख निदेशक या कलेक्टर अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकदमें के या उसके द्वारा की गयी कार्यवाहियों के अभिलेख पर दिए गए आदेश की वैद्यता अथवा औचित्य से तथा कार्यवाहियों कि नियमितता से अपने आप को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगवा सकेगा तथा परिक्षण कर सकेगा और यदि उसकी राय हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाहियां या दी गयी आज्ञा परिवर्तित (Vary), रद्द (cancel) या उलट (Reverse) कर दी जानी चाहिये, तो वह उस मुकदमें को, उस पर अपनी राय के साथ यदि वह मुकदमा न्यायिक प्रकार का है या भू–प्रबंध से सम्बंधित नहीं है, तो राज्य सरकार की आज्ञा के लिए निर्देशित (त्ममित) करेगा। और मण्डल या राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो उस पर ऐसी आज्ञा दे सकेगा जिन्हे वह उचित समझे।

राजस्थान भू–प्रबंध नियमावली अध्याय 8 के नियम 1 आपत्तियों एवं उजरदारियों तथा अपीलों की सुनवाई एवं अमल दरामद् भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबंध अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायालय के अधिकारीयों के रूप में कार्य करते है।

इस अध्याय की धारा 2 में न्यायिक मामलों की सूची दी गयी है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की अनुसूची । (धारा 23) के अन्तर्गत न्यायिक मामले माने गए है। इसी नियमावली के अध्याय 4 की धारा 9 व अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि इन्द्राजों की महत्ता एवं भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा किये गए निर्णयों का राजस्व न्यायालयों पर प्रतिबन्ध होना धारा 140, 140–एए के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में की गयी प्रविष्टियां सत्य मानी जावेगी जब तक कि उसको विपरीत सिद्ध नहीं कर दिया जाता है।

(3) न्यायिक उद्दरण (नजीर) :

- 1976 (WLN) (UC) 16 विजकुमार बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान "Settlement Parcha should considered as an annual Register"
- प्रभाती बनाम शिवकरण C-W- 590/67 निर्णय दिनांक 02.01.76– "The Parcha settlement is a great ond Important Evidence!"
- कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)– राजस्थान सरकार बनाम भगवान् दास चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि "If an order is passed by the Asst- Land Record Officer a Collector cannot make reference- Only Director of Land Records who can make references." अर्थात यदि कोई आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

यदि सहायक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है तो कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर उस आदेश या निर्णय का रेफरेंस नहीं दे सकता है । (State Vs Bhagwandas Charitable Trust, 2010 RBJ 244)

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी असाधारण विलम्ब (Inordinate Delay) के सन्दर्भ में प्रतिपादित किया गया है कि रेफरेंस की शक्तियों का प्रयोग उचित तरीके से उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए तथा असाधारण विलम्ब (Inordinate Delay) में प्रस्तुत किया गया होने से रेफरेंस संधारणीय नहीं है । (1) Mansaram Vs SP Pathak AIR (SC) 1239, (2) AIR 1969 SC 1297 (Supra)
- अधिसूचना संख्या F-1 (236) Rev-D/56 दिनांक 25 सितम्बर 1956– सभी नायब तहसीलदारों को अपने राजस्व सर्किल में RLR Act 1956 की धारा 135(1) के अन्तर्गत अविवादित मामलो को Decide कहने की शक्तियां प्रदत्त की गयी है। राजपत्र में प्रकाशित Date-oct4, 1956 Para 1 (a) Page 181-182

आदेश

प्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथा संलग्न पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का सम्यक् परिशीलन किया गया। उभय पक्षों के अभिवचनों पर मनन करने के उपरान्त, न्यायालय इस सुविचारित निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रस्तुत रेफरेन्स अपने वर्तमान स्वरूप में संधारण योग्य (Maintainable) नहीं है। इस आधार पर रेफरेन्स को इसके वर्तमान स्वरूप में खारिज किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप यह रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

तथापि प्रार्थी (तहसीलदार) को यह स्वतंत्रता आबद्ध रहेगी कि यदि भविष्य में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कोई नवीन तथ्य, विधिक आधार पर महत्वपूर्ण अंश या साक्ष्य उनके संज्ञान में आता है, उसके आधार पर सक्षम न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार हेतु नवीन रेफरेन्स प्रस्तुत करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगे।

आदेश आज दिनांक 09/09/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested